

# बिहार सरकार

## स्वास्थ्य विभाग

### आदेश

सं० सं०-2/एल-31/2022- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० (श्रीमती) सरिता सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर के द्वारा दिनांक-01.04.2025 से 31.03.2026 तक कुल-365 (तीन सौ पैंसठ) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-836(25), दिनांक-27.05.2024 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. डा० (श्रीमती) सरिता सिंह को उपभोगित शिशु देखभाल अवकाश घटाने के पश्चात को 89 (नवासी) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

3 इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-31/2022- 237/2 पटना, दिनांक 14/2/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर/ उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/डा० (श्रीमती) सरिता सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

विनोद कुमार पाठक  
सरकार के उप सचिव।